कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14459/2131 **दिनांकः–17.12.14**

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, खगौल के वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 751/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

16/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

355

नगर परिषद् खगौल
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–751/13–14
(अवधि– 2012–13)

1.प्रस्तावना

नगर परिषद् खगौल के वित्तीय वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 02.06.13 से 15.06.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमती धर्मशीला देवी	01.04.12 से 08.6.12
2.	श्री सुजीत कुमार	09..6.12 से 31.3.13

(ख) उप–सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुजाता देवी	01.04.12 से 08.6.12
2.	श्रीमती अलका कुमारी	09.6.2012 से 31.3.2013

(ग) कार्यपालक अधिकारी

क0सं0	नाम	अवधि
1:	'श्री किशोर कुमार प्रसाद	01.04.12 से 31.3.2013

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।

४. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियॉ

क0सं0	कंडिका सं0	कंडिका का सार	राशि (रू. में)
1	10(क)	कम/नहीं जमा	736068.07
2	10(ख)	अंकेक्षण के दौरान जमा	49955.00
3	11	भवन कर बकाया	1455830.00
4	13	सरकारी भवन के विरूद्ध बकाया	2000587.00
5	14(1)	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	18196.00
6	14(2)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि जमा नहीं	205091.00
7	16	अधिक भुगतान	79436.00
8	17	श्रम उपकर की कटौती नहीं	68990.00
9	22	अनियमित कय	1782500.00

1354

५. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाये उसके द्वारा किया जाएगा ताकि इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है।

परंतु नगर परिषद् की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नही थी जिसके कारण कई प्रकार की अनियमितताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियॉ, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना तथा समय– समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः परिषद् प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाए।

6(क) संव्यवहार

नगर परिषद, खगौल में केंन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोतों से सृजित आय तथा उससे किये गये व्यय की स्थिति निम्न थी–

रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा प्रगणित वर्ष 2012–13 की अवधि में आय–व्यय निम्न प्रकार था–

कम सं	विवरण	राशि (रु.)
1	**प्रारंभिक शेष**	44602337.00
2	**प्राप्तियां**	
3	कार्यालय भवन	**6222000.00**
	तेरहवीं वित आयोग	**4673000.00**
4	सामाजिक सुरक्षा	2117700.00
5	स्वर्ण जयंती सहरी रोजगार योजना	**7500000.00**
6	चुतर्थ राज्य वित् योजना	16076170.00
7	नागरिक सुविधा	**3788000.00**
8	राज्य योजना	**564535.00**
9	हुडको (सी. स. आर.)	**350000.00**
10	नगर प्रबंधक का वेतन	**240000.00**
11	मासिक बैठक भत्ता, यात्रा भाता	**130800.00**
12	बी. आर. जी.एफ	899000.00
13	स्वंय के स्रोत से आय	**8202511.00**

14	कुल आय	**50763716.00**
15	कुल	**95366053.00**
16	कुल व्यय	**26689172.00**
17	अंतशेष	**68676881.00**

6(ख) 31.03.13 को बैंक खाताओं के अन्तशेष की विवरणी

कम सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	मद	अन्तशेष की राशि
1	कोषागार खाता			41920222.00
2	केनरा बैंक,	1256101085277	13th Finance	5402933.00
3	केनरा बैंक,	1256101085283	BRGF	1961140.00
4	बैंक ऑफ इंडिया	440210100027263	पेन्शन	15272.00
5	बैंक ऑफ इंडिया	440210100030682	कम्युनिटी हॉल	774433.00
6	बैंक ऑफ इंडिया	23379	सं.जे.एस.आर.वाइ	7414657.00
7	बैंक ऑफ इंडिया	30341	बालिका समृधि योजना	70581.00
8	बैंक ऑफ इंडिया	31602	अन. अस. डी. पी .	315729.00
9	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	31073264550	मुनिसिपल फंड	4375019.00
10	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	30108354784	बी. आर. जी. एफ.	1024624.00
11	पंजाब नेशनल बैंक	1583000100090098	स्वयं के श्रोतो से आय	2085932.00
12	पंजाब नेशनल बैंक	1583000100090104	राज्य योजना	565525.00
13	पंजाब नेशनल बैंक	1583000100091440	हुडको	350000.00
14	कुल			66276067.00

7. रोकड़ बही में त्रुटियाँ

नगर परिषद् खागौल द्वारा संधारित रोकड.बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गई–

1. आय एवं व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया,
2. आय पक्ष में प्राप्तियों के विरूद्ध मद नहीं दर्शाया गया एवं किस तरह की प्राप्ति थी तथा किनके द्वारा जमा की गई यह स्पष्ट नहीं किया गया था,
3. मासिक एवं त्रैमासिक योग नहीं निकाला गया एवं वार्षिक विवरणी तैयार नहीं किया गया,
4. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया,
5. प्रारंभिक शेष एवं अन्तशेष का विश्लेषण नहीं किया गया,
6. बैंक एवं पासबुक को समाधानित नहीं किया गया,
7. रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या नहीं पाया गया

352

8. बी. आर. जी. फ. की रोकड बही के अनुसार दिनांक 28.12.2012 को कुल 899000.00 प्राप्त हुआ जो लेखापाल रोकड बही में नहीं पाया गया।

9. निर्गत किये गए चेक के साथ बैंक का नाम और खाता संख्या नहीं पाया गया

रोकड़ बही

उपर वर्णित त्रुटियों को दूर करते हुए रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गई अन्य सभी ऑकड़ों की प्रविष्टि की जॉच एवं इनमें सुधार अपने स्तर से करते हुए अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए। इस संबंध में जवाब दिया गया कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा।

8. अनुदान

अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का विहित संधारण नहीं किया गया न ही अनुदान संस्वीकृति पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। इनकी अनुपलब्धता के कारण पूर्व के अव्यवहृत अनुदान की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं वर्ष में प्राप्त एवं इनके विरूद्ध किया गया व्यय एवं 31.03.13 को शेष राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2012—13 की अवधि में विभिन्न मदों में कुल रु 42694105.00 अनुदान के रूप में रोकड बही प्राप्त हुआ जिसकी विवरणी निम्नलिखित है—

क. सं.	रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति की तिथि	विवरण	राशि	प्रयोजन
1.	4.5.2012	37/11.4.2012	6222000.00	कार्यालय भवन
2.	25.7.2012	1/03.04.2012	1482000.00	तेरहवीं वित आयोग
3.	1.9.2012	19829/20.09.2012	2420000.00	तेरहवीं वित आयोग
4.	13.10.2012	....	1392600.00	सामाजिक सुरक्षा
5.	31.12.2012	....	7500000.00	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
6.	12.2.2013	....	133000.00	जनगणना
7.	28.12.2012	144/5.12.2012	899000.00	बी.आर.जी.एफ.
8.	13.2.2013	....	564535.00	राज्य योजना
9.	6.3.2013	....	725000.00	वृद्वा पेंशन
10.	22.3.2013	3287/25.03.2013	350000.00	हुडको (सी.एस.आर.)
11.	30.3.2013	....	240000.00	नगर प्रबंधक का वेतन
12.	30.3.2013	26/20.09.2012	130800.00	मासिक बैठक भत्ता, यात्रा भाता
13.	30.3.2013	36/31.08.2012	771000.00	तेरहवीं वित आयोग
14.	30.3.2013	88/04.03.2013	16076170.00	चुतर्थ राज्य वित् योजना
15.	30.3.2013	97 / 14.03.2013	3788000.00	नागरिक सुविधा
कुल			42694105.00.00	

अत: अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये साथ ही लंबित अनुदानों का उपयोग किया जाए अथवा आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में इन्हें संस्वीकृतिदाता पदाधिकारी को वापस कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जाएगा।

9 SJSRY मद से 8.41 लाख का विचलन

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशानिर्देश के विपरीत निम्नांकित राशि का व्यय रोजगार सृजन योजनाओं पर नहीं किया गया। कार्यालय, शौचालय, कम्यूनिटी हॉल के निर्माण एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि के राशि जमा करने पर किया गया, निम्न व्यय स्पष्ट रूप से विचलन जिसकी प्रतिपूर्ति शीघ्र किया जाय।

क्र.सं.	चेक सं./दिनांक	राशि	विवरण
1	011606/24.01.13	100000.00	office toilet पर व्यय
2	011607/29.01.13	75000.00	–तथैव–
3	011624/26.03.13	32254.00	–तथैव–
4	011608 /21.03.13	1334.00	भविष्य निधि जमा
5	011620/26.03.13	15000.00	कम्यूनिटी हॉल निर्माण व्यय
6	011626/26.03.13	250000.00	–तथैव–
7	178164/15.12.12	100000.00	office toilet पर व्यय
8	178166/24.12.12	150000.00	–तथैव–
9	178168/05.01.13	150000.00	–तथैव–
		841334.00	

10(क) कम/नहीं जमा

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निर्गत एच. रसीदों/विविध रसीदों की जॉच में पाया गया कि उक्त रसीदों के द्वारा कुल रु. 7,69,908.93 वसूल की गयी राशि नगर परिषद के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी। यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान कुल रु. 33840.86 जमा किया गया। इस प्रकार रु. 736068.07 **कम/नहीं जमा** पाया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – III पर)

350

अतः शेष रु. 736068.07 संबंधित वक्तियों से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए। साथ ही जमा की गई राशि रु. 33840.86 को बैंक में जमा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

10(ख) अंकेक्षण के दौरान जमा राशि रू. 49955.00

रोकड़पाल रोकड़ बही का बैंक पासबुक से मिलान के दौरान पाया गया कि दिनांक 14.08.2012 को कुल 49954.57 रोकड़पाल द्वारा वसूल किया गया परन्तु इसे नगर परिषद खाता में जमा नहीं किया गया यद्यपि लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में रू. 49955.00 खाता सं. 1283000100090098 में दिनांक 05.06.2013 को जमा किया गया।

11. मुख्य भवन कर

मुख्य भवन कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलबध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2012–13 की अवधि में दिनांक 31.03.2013 तक कुल राशि 14,55,830.00 वसूली हेतु बकाया थी। विवरण निम्नवत् है–

मॉग		कुल मॉग	वसूली		कुल वसूली	अवशेष राशि
बकाया	हाल		बकाया	हाल		
2865790.00	1945963.00	4811753.00	2227360.00	1128563.00	3355923.00	1455830.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

नगर परिषद् मुख्य रूप से एक स्ववित्त पोषित संस्था है एवं होल्डिंग टैक्स की वसूली नगर परिषद् के आय का मुख्य श्रोत है। परन्तु, उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 की अवधि में रु 1455830.00 की बड़ी राशि वसूली हेतु बकाया थी एवं वसूली का प्रतिशत केवल 69.74% रहा।

इस संबंध में दिनांक 01.04.13 से नया बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2013 के आलोक में वसूली की कार्रवाई की जाएगी तथा विभाग से निर्देशानुसार वाह्य एजेन्सी तथा बैंक के माध्यम से वसूल कर संग्रहण किया जाएगा।

वसूलनीय राषि की वसूली हेतु ठोस एवं गंभीर प्रयास किए जाए एवं किए गए प्रयास एवं उसके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

12. दुकानों एवं भूखंड का बकाया किराया 422586 .00

दुकानों एवं भूखंड से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार विभिन्न स्थलों पर अवस्थित कुल 16 दुकान, 17 कटरा, 37 भूखंड एवं 3 सामुदायिक भवन की सूची उपलबध करायी गई। दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार दुकानदारा/ व्यक्तियों के यहां कुल रु 422586.00 बकाया थी।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि किराया वसूल की जा रही है।

उक्त राशि को वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाए एवं इसकी वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

13. सरकारी भवनों के विरूद्ध बकाया भवन कर

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार नगर परिषद्, खगौल, के अन्तर्गत 5 सरकारी भवनों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012–13 तक कुल रु 2000587.00 बकाया थी।

इनके अववलोकन में यह पाया गया कि कुछ भवनों के विरूद्ध वर्ष 1957–58 से अभी तक किसी भी राशि की वसूली नहीं की गई है।

उपर्युक्त राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाएं ताकि परिषद् निधि को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके एवं की गई कार्रवाई एवं इसके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)

14(1) मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0/मु0स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह महानिरीक्षक, पंजीयन बिहार के पत्रांक 549/13.03.2005 के निदेशानुसार सैरातों की बन्दोबस्ती किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की वसूली कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना निर्देशित था।

उपलब्ध संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि में इस राशि को वसूला नहीं गया, विवरण निम्न प्रकार है–

क. सं.	सैरात का नाम	बन्दोबस्तीधारी का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क (रु.)
1.	जय राम बाज़ार अवस्थित नगर परिषद भूमि फूटपाथ (2012-13)	श्री सुरेश प्रसाद, खगौल, पटना	241151.00	7235.00
2.	वही (2013-14)	श्री अजय कुमार, खगौल, पटना	266100.00	7983.00
3.	साईकिल, रिक्सा, ठेला इत्यादि टिन– टिकट (2012-13)	वही	47151.00	1415.00
4.	वही (2013-14)	वही	52100.00	1563.00
	कुल		606502.00	18196.00

इस संबध में जवाब दिया गया कि पूर्व में सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी थी। भविष्य में वसूली की जायेगी

1348

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः उपर्युक्त मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली संबंधित /जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर परिषद् निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाए तथा अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए।

14(2) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत कटौती किए जाने के उपरान्त शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा किया जाना उपबंधित है। परन्तु, लेखाओं की नमूना जॉच में पाया गया गया कि वर्ष 2011–12 की अवधि में नगर परिषद् द्वारा इन मदों में क्रमशः रु 113939.00 एवं रु 113939.00 कुल रु 227878.00 की वसूली की गयी, जिन्हें संबंधित विभाग के शीर्ष में जमा नहीं किया गया।

अतः उक्त वसूल की गयी राशि में से 10 प्रतिशत 22787.80 की कटौती कर शेष राशि रु 205091.00 (227878- 22787) संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए। साथ ही जमा हेतु की गयी कार्रवाई एवं इनके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार के संबंधित खाते मे जमा कर दी जाएगी।

15. माबाईल टावरों पर बकाया शुल्क 700000.00

माबाईल टावरों की उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के कुल 8 मोबाईल टावर स्थापित थे, जिनके विरूद्ध 31.03.2013 तक कुल बकाया शुल्क 7,00,000.00 दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में टावरों की उॅचाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया,
2. प्रति मीटर शुल्क दर भी नहीं दर्शाया गया,
3. वसूली हेतु मॉग नोटिस एवं अन्य कार्रवाई जो भी किए गए हों से संबंधित कोई भी उल्लेख/साक्ष्य नहीं पाए गए,
4. वर्ष 2008 के निर्णयों के अनुसार रु 2000.00 प्रतिमीटर प्रतिवर्ष की दर से दर का निर्धारण किया जाना उपबंधित था, परंतु उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में दर निर्धारण के आधार का कोई उल्लेख नहीं पाया गया,
5. नगर एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–4 न न्या0–268/12/3838 दिनांक 25.10.12 की नियमावली की कंडिका सं 9 के अनुसार ऐसे टावर की फीस में जिस पर पजीकरण शुल्क और या नवीकरण फीस बकाया है, नगरपालिका को अधिकार है कि टावर को सील कर दे जब तक पूर्णतः बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाए।

इस संबंध में कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया एवं न हीं उपरोक्त बिन्दुओं को अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः बकाया राशि पत्रांक–4 न न्या0–268/12/3838 दिनांक 25.10.12 के नियमों के अनुसार ब्याज सहित वसूल कर अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाए।

16. अधिक भुगतान

मद	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजना का नाम	कार्यालय परिसर में शौचालय निर्माण
प्रा0राशि0	रु 639600.00
अभिकर्ता	श्री अम्बिका प्रसाद, सफाई निरीक्षक
तकनीकी स्वीकृति	सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 4.12.12
मापी पुस्त के अनुसार किया गया कार्य	रु 639215.00
भुगतान	(607254.00 और 5%वैट अर्थात 31961.00)=639215.00
अभिश्रव मस्टर रॉल	472559.00 166863.00 639422.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. बिहार सरकार ने पत्रांक 356/न. वि.अवं आव. वि .दिनांक 22.1.2008 द्वारा सभी नगर निकायों को योजना का कियान्वयन निविदा के माध्यम से करने का आदेश दिया. परन्तु इसके विपरीत नगर परिषद खगौल ने योजना का कियान्वयन विभागीय रूप से किया. जो कि दिशानिर्देश का उल्लंघन है।
2. नियमानुसार विभागीय रूप से कार्य होने की दशा में वैट की कटौती योजना में लगे समाग्रियों के आधार पर किया जाना है. परन्तु संचिका के अनुसार कुल कार्य का 5% वैट के रूप में कटौती की गयी।

   अत : वैट की गणना कर राशि यदि अधिक हो तो इसे अभिकर्ता से वसूल किया जाए .
3. योजना में रोयल्टी की कटौती नहीं की गयी। अत: इसकी गणना कर राशि अभिकर्ता से वसूल किया जाए।
4. मापी पुस्तिका के अनुसार कुछ कार्यो में अभिकर्ता को प्राक्कलन में दिए गए राशि से अधिक भुगतान किया गया है . जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है -

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा	मापी पुस्तिका के अनुसार भुगतान की दर(रु.)	प्राक्कलन के अनुसार दर (रु.)	अधिक (रु.)	अधिक राशि (रु.)
1	Providing local sand filling M.B.P/1 sl. No. 5	13.43 M^3	245.57/M^3	186.10/M^3	59.47/M^3	799.00
2	providing M.S.	945 K.G.	72.40/ K.G.	68.00	4.40/K.G.	4158.00

1346

	reinforcement bending & placing ...M.B.P/6 Sl. No. 11					
3	providing M.S. reinforcement bending & placing ...M.B.P/9 Sl. No. 4	112K.G.	72.40/K.g.	68.00	4.40/K.G.	493.00
4	Providing vertified floor tiles M.B.P/9 Sl. No. 5	21.50M^2	1957.90 M^2	1343.50/M^2	614.40/M^2	13210.00
5	Carriage of sone sand M.B.P/11 Sl. No. 13(ii)	24.90M^3	742.35/M^3	583.64/M^3	158.71/M^3	3952.00
कुल						22612.00

अत : अधिक भुगतान की राशि 22612.00 वसूलनीय है.

5. M.B.P/(Sl no 6)के अनुसार vertified floor tiles 232 sft में लगाया गया. जबकि अभिश्रव के अनुसार 90 box (900 sft) floor tiles 260.00 / box की दर से क्रय किया गया .

अत: अधिक क्रय किये गए 668 (900-232) sft floor tiles की राशि रु.17368.00 (668sft@26/sft) अभिकर्ता से वसूलनीय है.

6. पुनः M.B.P/9 (sl.no. 6) के अनुसार wall tiles 264 वर्गफुट में लगाया गया. जबकि अभिश्रव के अनुसार 190 box (1900sft)glazed wall tiles 210.00 / box की दर से क्रय किया गया।

अत: अधिक क्रय किये गए 1636 (1900-264) sft wall tiles की राशि रु.34356.00(1636sft@21/sft) अभिकर्ता से वसूलनीय है.

7. M.B.P/11 के अनुसार कुल किये गए कार्य का (633115.00) ka 1% extra for labour cost के लिए भुगतान किया गया परन्तु प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं था।

अत : किया गया भुगतान 5100.00 अभिकर्ता से वसूलनीय है।

8. प्राक्कलन के अनुसार 95 feet लम्बाई में, तथा 6 फीट चौड़ाई में E/work filling, local sand filling, Brick on edge soling और p.c.c. कार्य करना था. परन्तु M.B.P/10 के अनुसार 197 फीट लम्बाई में E/work filling, 132 फीट लम्बाई में local sand filling और Brick flat soling तथा 70 फीट लम्बाई में P.c.c. का कार्य किया गया।

अत : जब 70 फीट लम्बाई में p.c.c. कार्य किया गया तब इससे अधिक लम्बाई में E/work filling, local sand filling और Brick flat soling कार्य का औचित्य लेखा परीक्षा को नहीं बतलाया गया।

9. मापी पुस्तिका में labour & material statement नहीं पाया गया जिसके कारण योजना में लगी सामग्रियों का पता नहीं चल पाया।

इस प्रकार कुल अधिक भुगतान की राशि रु. 79436.00 (22612.00+5100.00+17368.00+34356.00) तथा रोयल्टी और वैट(यदि अधिक हो) की राशि भी अभिकर्ता से वसूल किया जाए। साथ ही उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण अगले लेखा में दिया जाए। इस संबंध में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कारवाई की जायेगी।

17. श्रम उपकर की नहीं कटौती 68989.72

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए योजना विवरणी के आंकड़ों की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नांकित योजनाओं के कियान्वयन पर कुल रु व्यय किए गए–

क.सं	**योजना मद**	**योजनाओं की सं.**	**कुल व्यय**
1.	चुतर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पिछड़ा क्षेत्र अनु0 निधि	41	6898972

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 39 दिनांक 10.06.08 के साथ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्धसरकारी पत्र सं0 बी.सी.डब्लू.सी. 1/2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्य पर किए गए व्यय का 1 प्रतिशत वर्ष 2007–08 से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना निर्देशित था। परंतु, उक्त योजनाओं में यह कटौती नहीं की गई।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई। भविष्य में कटौती की जायेगी।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त योजनाओं पर किए गए व्यय का 1% रु 68989.72 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VI पर)

18. कबीर अन्त्येष्टि योजना

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2012-13 दौरान कुल रु. 4500.00 कबीर अन्तयेष्टि योजना के अंतर्गत व्यय किया गया– जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	राशि (रु.)	विवरण
1.	29.1.2013	178177	4500.00	श्री मनोज कुमार रोकड पाल, को वार्ड संख्या 11,12 & 22 में वितरण हेतु

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक रु. 4500.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

19. प्रशासनिक भवन निधि का अवरोधन 38,79,075.00

अनुदान पंजी के अनुसार बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 6 दिनांक 09.02.2009 के द्वारा नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु दिनांक 21.03.2009 को रु_38,79,075.00 प्राप्त हुआ परन्तु लगभग 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इस निधि से कोई भी व्यय नहीं किया गया है अथार्त निधि को अवरोध करके रखा गया है।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है अत: प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये ताकि निधि का उपयोग हो सके।

20. अप्रस्तुत रसीद

बार–बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बाद भी निम्नांकित विविध रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं–

क0सं0	रसीद प्राप्तकर्ता	निर्गत की होल्डिंग रसीद सं0	रसीद निर्गत की तारीख
1	श्री शैलेश	1901–2000 2001–2100	7.3.2013 7.3.2013

इस संबंध में जवाब दिया गया कि उक्त को अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा।
उक्त रसीद को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

21. ड्राफ्ट की राशि बैंक द्वारा नगर परिषद खाता में जमा नहीं किया गया

भवन मानचित्र पंजी (p/6) के अनुसार श्री नितेश रोशन (मेसर्स कृषब् प्राइवेट लिमिटेड) ने खाता संख्या 157/5619, रकबा 40, प्लाट संख्या 281X 277 नक्शा स्वीकृति हेतु रु. 63,000.00 (डिमांड ड्राफ्ट संख्या 020063 दिनांक 28.11.2012-30,000.00 & डिमांड ड्राफ्ट संख्या 020061 दिनांक 28.11.2012-33,000.00) नगर परिषद खगौल में जमा किया। नगर परिषद ने यह ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 31073264550 में दिनांक 27.12.2012 को जमा किया परन्तु यह राशि लेखापरीक्षा की तिथि तक अर्थात 13.6.2013 तक खाता में जमा नहीं पायी गयी। इस संबंध में जवाब दिया गया कि बैंक से संपर्क करने पर पता चला कि ड्राफ्ट जमा होने की प्रक्रिया में है। राशि जमा कर संबंधित अभिलेख द्वारा उसका सत्यापन अगले लेखापरीक्षा दल को कराया जाय।

नक्शा स्वीकृति से सम्बंधित बिल्डिंग, फीस डेवलपमेंट चार्ज आदि की दर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इसकी जांच नहीं की जा सकी।

3413

अत: इस संबंध में समुचित प्रयास किया जाए।

22. सोलर लाइट के कय मे अनियमितता

नगर परिषद खगौल ने चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत सोलर लाइट क्रय हेतु निविदा प्रकाशित किया। प्राप्त निविदा एव दर वार्ता के आधार पर रु. 28750.00 प्रतिअदद क्रय करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आपूर्ति आदेश संख्या 1060/12.12.2012 द्वारा ऍम.डी. इंटरप्राइजेज, पटना और जय माता दी ट्रेडिंग, पटना को क्रमशः 37 एवं 25 अदद सोलर लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया। जिसके लिए उन्हें कुल 1782500.00 भुगतान किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है

क0 सं0	भुगतान का विवरण	सोलर लाइट की दर	संख्या	भुगतान की राशि	फर्म का नाम
1	577302/20.1.2013	28750.00	16	432400.00	ऍम. डी. इंटरप्राइजेज, पटना
2	577314/.26.2.2013	28750.00	10	270250.00	जय माता दी ट्रेडिंग, पटना
3	577329/.10.4.2013	28750.00	15	405374.00	जय माता दी ट्रेडिंग, पटना
4	577331/10.4.2013	28750.00	12	324300.00	ऍम. डी. इंटरप्राइजेज, पटना
5	577350/.30.4.2013	28750.00	9	243225.00	ऍम. डी. इंटरप्राइजेज, पटना
6	कुल			1675549.00	
7	5% vat			89125.00	
8	1% आय कर			17826.00	
9	कुल			1782500.00	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1.) संचिका में तुलनात्मक विवरणी नहीं पायी गयी।

2. संचिका में इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया।

3. सोलर लाइट ठीक से काम कर रहा है। इस संबंध मे किसी तकनीशियन का रिपोर्ट नहीं पाया गया।

4. सोलर लाइट का कय जिला कय समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जाना चाहिये अथवा इसके कय अखबार मे विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित करना चाहिए तत्पश्चात तुलनात्मक विवरणी तैयार कर, कय समिति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर के कय की जायेगी परन्तु नगर परिष्द मे ऐसा नहीं किया गया। जो कि वितीय अनियमितता है।

5. कय किये गये सोलर लाइट की प्रविष्टि भंडार पंजी में नहीं किया गया। वारंटी कार्ड नहीं पाया गया।

6. उपर्युक्त कय बोर्ड से पारित है अथवा नहीं यदि है तो बोर्ड का proceeding book प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. सोलर लाइट ठीक से काम कर रहा है। इस संबंध मे स्थानीय नागरिक/जन प्रतिनिधि का प्रतिवेदन संचिका मे नहीं पाया गया।

1342

8. क्या सभी सोलर लाइट वर्त्तमान मे सही ढंग से काम कर रहे हैं, यदि नहीं तो उसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

9. सोलर लाइट के भैतिक निरीक्षण हेतु समय तय कर लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

10. आपूर्त्ति आदेश दोनों फर्म को खंड- खंड में दिया गया।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि उपर्युक्त को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः तबतक व्यय की गयी राशि रु. 1782500.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

23. अग्रिम रु 3230680

नगर परिषद द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण दिनांक 01.4.2012 को लंबित अग्रिम एवं वर्ष 2012–13 की अवधि में दी गई अग्रिम की राशि, इनके विरूद्ध समायोजित राशि तथा 31.03.13 को समायोजन/वसूली हेतु बकाया राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

यद्यपि रोकड़ बही के अनुसार बर्ष 2012-13 की अवधि में कुल रु 3230680 अग्रिम प्रदान किया गया – (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VII पर)

इस संबंध में जवाब दिया गया कि वसूली/समायोजन की कार्रवाई की जा रही है तथा अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जाएगा।

अत: अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए एवं इनके विरूद्ध सामंजन/वसूली की कार्रवाई हेतु ठोस प्रयास किए जाए एवं अग्रिम के समायोजन/वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

24. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गये आपत्तियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में दिनांक 15.06.13 को कार्यपालक पदाधिकारी से चर्चा की गयी।

25. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – 83795.86
2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – 4025863.00
3. आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– 1787000.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

(341)

26. सामान्य अभियुक्तियाँ

नगर परिषद् द्वारा लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक आवश्यक अभिलेख जैसे अनुदान पंजी अनुदान विनियोग पंजी समग्र अग्रिम पंजी परिसम्पति पंजी विभिन्न करों की मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा अग्रिम के सामन्जस्य पर समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाए जाएँ।

—हस्ता0—

रवि कुमार

(स0ले0प0अ0)

—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार(एस0 एस0—I)
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

L3400

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

- ह0 -
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–I
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14459 / 2131 दिनांकः– 17.12.14

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

16/12/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–I
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

95 329

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची (परिशिष्ट I)

1. लेखापाल रोकड.बही,
2. बैंक एवं कोषागार पासबुक,
3. रोकड.पाल रोकड.बही,,
4. एच. रसीद/विविध रसीद,
5. रसीद बहियों की भण्डार पंजी,
6. दैनिक संग्रह पंजी,
7. योजना पंजी,
8. योजना अभिलेख, आंशिक
9. अभिश्रव, आंशिक
10. बन्दोबस्ती संचिका एवं पंजी,

वैसे अभिलेख जो असंधाति थे या लेंखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये (परिशिष्ट II)

1. अनुदान पंजी,
2. ऋण पंजी,
3. अग्रिम पंजी,
4. पी. एफ. लेखा,
5. मॉग एवं वसूली पंजी,
6. बजट पंजी,
7. परिसम्पत्ति पंजी,
8. वार्षिक लेखा,
9. वाहनों का लौग बुक,
10. सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति संचिका,
11. दाखिल खारिज पंजी,
12. भवन निर्माण अनुमति लेखा,
13. स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर,
14. वेतन निर्धारण पंजी,
15. जमा पंजी,
16. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल,

Ravi ...

R.K.

338

26

M.No 9, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 27

परिशिष्ट – III

कंडिका – 10 (क) (ख)

No.	रसीद सं.	Date	वसूली राशि	जमा राशि	कम/नहीं जमा	जमा का विवरण (रसीद सं. एवं date + रोकड़पाल/रोकड़ बही में जमा राशि)	अंकेक्षण दौरान जमा राशि	शेष राशि	वसूली कर्ता
1.	H.R.No-602	—	1854	1844	10	CCB P/13 11.06.2013; O.M.No. A.K.7 13	16933.86	1596.34	श्री गोपाल प्रसाद (कर संग्राहक)
2.	" 990	—	109.64	54.82	54.82				
3.	" 737	7.12.12	569.90	—	569.90				
4.	" 687	—	751.12	343.80	407.32				
5.	" 688	22.12.12	343.80	—	343.80				
6.	" 4534	—	148.36	74.18	74.18				
7.	" 4535	—	148.36	74.18	74.18				
8.	" 2456 से 2472	25.5.13 से 1.6.13	16996	—	16996				
			20921.18	2390.98	18530.20				
9.	" 4224	16.4.12	3187	3135	52	A.K.P./17 M.R.No-2318 15.6.13	802	—	अहमद हुसैन (कर संग्राहक)
10.	" 2266	13.5.13	491	191	300	O.M.No. 8, 16, 19			
11.	" 1884	31.3.13	150	—	150				
12.	" 1885	31.3.13	150	—	150				
13.	" 1886	31.3.13	150	—	150				
			₹ 4128	3326	802				
			C.F 25049.18	C.F = 5716.98	C.F 19332.2		C.F = 17735.86	C.F = 1596.34	

337

S.No	रसीद क्रं.	Date	वसूली राशि	जमा राशि	कम/नहीं जमा	जमा का विवरण (रसीद नं. एवं date + रोकड़पाल/रोकड़बही में जमा राशि)	अंकेक्षण दौरान जमा राशि	शेष राशि	वसूली कर्ता
			B.F 25049.18	B.F 5716.98	B.F 19332.2		B.F=17735.86	B.F 1596.34	
p.k.f/17									
14.	H.R 2331 से 23344	18.5.13 से 11.6.13	12973	—	12973	p.k.f/17 —	—	12973	श्री रविरंजन कुमार (कर संग्राहक)
15.	1384	11.8.12	13250	—	13250	—	—	13250	श्री गोपाल प्रसाद (कर संग्राहक)
16.	1388	11.8.12	6250	—	6250	—	—	6250	
17.	1389	11.8.12	2250	—	2250	p.k.f/18 —	—	2250	
18.	1390	11.8.12	1000	—	1000	—	—	1000	"
19.	1391 से 1400 (1397 छोड़कर)	11.8.12 से 15.9.12	647280	—	647280	—	—	647280	"
			₹ 670030		₹ 670030			₹ 670030	"
20.	1397	18.8.12	9500	7025	~~7500~~ 2475	M.R.No-2238 14.6.13	1534	941	श्री गोपाल प्रसाद
21.	1702 से 1724 (1709, 1710 छोड़कर)	20.11.12 से 7.2.13	6855	—	6855	p.k.f/12	—	6855	"
			₹ 16355	₹ 7025	₹ 9330		₹ 1534	₹ 7796	

~~C.F=69435~~
C.F= 724407.18 C.F=12741.98 C.F=28662.2 C.F=19269.86 C.F=692395.34